मध्यप्रदेश शासन
चिकित्सा शिक्षा विभाग
मंत्रालय

भोपाल, दिनांक 30 सितम्बर, 2018

क्रमांक एफ–एफ2/57/2018/55–1

प्रति,

1. आयुक्त, चिकित्सा शिक्षा, भोपाल.
2. समस्त संभागायुक्त, (नर्मदापुरम छोड़कर) मध्यप्रदेश.
3. समस्त अधिष्ठाता, चिकित्सा महाविद्यालय, मध्यप्रदेश.

विषयः–मध्यप्रदेश स्वशासी चिकित्सा महाविद्यालय चिकित्सीय सेवा आदर्श नियम, 2018 एवं मध्यप्रदेश स्वशासी चिकित्सा महाविद्यालय गैर शैक्षणिक आदर्श सेवा नियम, 2018 में संशोधन।

आप विदित हैं कि चिकित्सा महाविद्यालय, दंत चिकित्सा महाविद्यालय एवं मानसिक आरोग्य शाला स्वशासी संस्थाएं होकर उनके व्दारा नियुक्त किए गए कर्मचारी/अधिकारियों का नियोक्ता संबंधित महाविद्यालय/संस्था ही है। शासन व्दारा स्वीकृत पदों के लिए शासन अनुदान देता है। महाविद्यालय/संस्था व्दारा नियुक्त कर्मचारी एवं अधिकारियों की सेवाएं स्थानान्तरणीय नहीं है और उन्हें एक महाविद्यालय/संस्था से दूसरे महाविद्यालय/संस्था में स्थानान्तरित नहीं किया जा सकता है।

2. उपरोक्त पृष्ठभूमि में एक महाविद्यालय से दूसरे महाविद्यालय में परस्पर सहमति अदल–बदल के आधार पर प्राप्त स्थानान्तरण आवेदन स्वीकार करना नियमानुकूल नहीं है और प्राप्त आवेदनों को अस्वीकार (reject) किया गया है।

3. मानवीय संवदेनावश परस्पर सहमति एवं अदल–बदल के आधार पर एक महाविद्यालय में कार्यरत व्यक्ति को दूसरे महाविद्यालय में नवीन नियुक्ति देने का अवसर देने के लिए 'मध्यप्रदेश स्वशासी चिकित्सा महाविद्यालय चिकित्सीय सेवा आदर्श नियम, 2018 एवं मध्यप्रदेश स्वशासी चिकित्सा महाविद्यालय गैर शैक्षणिक आदर्श सेवा नियम, 2018' प्रत्येक में नियम–10 के पश्चात नियम–10(अ) जोड़े जाने का प्रस्ताव वरिष्ठ सचिव समिति के समक्ष रखा गया। वरिष्ठ मंत्रि–परिषद के आदेश के पालन में वरिष्ठ सचिव समिति ने बैठक दिनांक 28.09.2018 में निम्नानुसार नियम–10(अ) जोड़ने का प्रस्ताव अनुमोदित किया हैः–

संचालनालय चिकित्सा शिक्षा म.प्र.
आवक क्रमांक 4244
दिनांक 1/10/18

"10(अ)मानवीय संवेदनावश पारस्परिक आधार पर एक महाविद्यालय में कार्यरत व्यक्ति को दूसरे महाविद्यालय में नवीन नियुक्ति का अवसर निम्न उपबंधों के तहत दिया जा सकेगा:—

(i) पारस्परिक नियुक्ति के आवेदन समान पद के लिए होना चाहिए और ऐसे आवेदन पत्रों पर संबंधित दोनों आवेदकों के हस्ताक्षर होना चाहिए।

(ii) पारस्परिक नियुक्ति के प्रकरणों में निहित दोनों आवेदकों को संबंधित महाविद्यालयों में चयन किया जाने की दशा में संबंधित महाविद्यालय ऐसे आवेदकों को नवीन नियुक्ति दे सकेगा।

(iii) नवीन नियुक्ति दिए जाने की दशा में पूर्व महाविद्यालय में की गई सेवा का वेतन संज्ञान लेते हुए चयनित व्यक्ति का वेतन निर्धारित किया जा सकेगा।

(iv) उक्तानुसार वरीयता निर्धारण के लिए नवीन नियुक्ति मानी जाएगी और ऐसी नियुक्ति पालन में महाविद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से वरीयता निर्धारित होगी।"

4 अतः चिकित्सा महाविद्यालय की स्वशासी समिति की कार्यकारिणी की बैठक में उपरोक्त दोनों आदर्श सेवा नियमों में नियम—10 के पश्चात नियम—10(अ) उपरोक्तानुसार जोडने का संकल्प पारित कर संशोधन अंगीकर किया जा सकता है। आपकी सुविधा के लिए परस्पर सहमति से अदल—बदल के आधार पर नवीन नियुक्ति के लिए आवेदन का प्रारूप संलग्न है।

5 यह स्पष्ट किया जाता है कि उपरोक्त संशोधन चिकित्सा शिक्षकों से संबंधित सेवा नियमों में नहीं किया जाए।

संलग्नः आवेदन का प्रारूप।

30/9/18

(शर्मिला ठाकुर)
अवर सचिव
मध्यप्रदेश शासन
चिकित्सा शिक्षा विभाग

मानवीय संवेदनावश पारस्परिक सहमति से अदला –बदली के आधार पर नई नियुक्ति हेतु आवेदन पत्र का प्रारूप

प्रति,

1. अधिष्ठाता एवं
मुख्य कार्यपालन अधिकारी
स्वशासी चिकित्सा महाविद्यालय
....
मध्य प्रदेश ।

2. अधिष्ठाता एवं
मुख्य कार्यपालन अधिकारी
स्वशासी चिकित्सा महाविद्यालय
....
मध्य प्रदेश ।

प्रथम आवेदक

1 नाम ....
2 पिता / पति का नाम ....
3 पदनाम ....
4 संस्था का नाम ....
5 आवेदन के समय वेतनमान ....
6 मूल वेतन ....

द्वितीय आवेदक

1 नाम ....
2 पिता / पति का नाम ....
3 पदनाम ....
4 संस्था का नाम ....
5 आवेदन के समय वेतनमान ....
6 मूल वेतन ....

महोदय जी,

निवेदन है कि हम मध्यप्रदेश स्वशासी चिकित्सा महाविद्यालय चिकित्सीय सेवा आदर्श नियम, 2018 एवं मध्यप्रदेश स्वशासी चिकित्सा महाविद्यालय गैर-शैक्षणिक आदर्श सेवा नियम, 2018 के नियम 10 अ के तहत परस्पर सहमति से अदल–बदल के आधार पर नवीन नियुक्ति चाहते हैं। हमें नियम 10 अ की समस्त शर्तें स्वीकार है ।

नवीन नियुक्ति का आदेश प्राप्त होते ही इस आवेदन को हमारी वर्तमान संस्था की सेवा से त्याग पत्र के रूप में स्वीकार किया जाए । हम अवगत हैं कि त्याग–पत्र स्वीकार करने पर हमारे समस्त स्वत्व (वेतनमान,वरिष्ठता,पदोन्नति, आदि) सहित स्वतः समाप्त हो जाएंगे ।

हस्ता.
नाम
दिनांक
(प्रथम आवेदक)

हस्ता.
नाम
दिनांक
(द्वितीय आवेदक)

II My doucuments/mahendra/1524